50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1475-तीन/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 15-06-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक-452/निग0/2005-06

.....

मेवालाल तनय स्व0 अयोध्या प्रसाद जायसवाल

निवासी-ग्राम रायखीर तहसील रामपुर नैकिन

जिला-सीधी(म0प्र0)

--------आवेदक

विरूद्ध

रामेद्गवर तनय जगतधारी लोहारी

निवासी-ग्राम रायखीर, तहसील रामपुर नैकिन

जिला-सीधी (म0प्र0)

------अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-06-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रायखीर तहसील रामपुर नैकिन में स्थित भूमि खसरा नं0 1126/2 रकबा 0.085 एवं 1127/2 रकबा 0.026 हैक्टेयर का सीमांकन कराया। सीमांकन पश्चात विवादित भूमि के जुज भाग पर रकबा 0.015 एवं 0.022 हैक्टेयर भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाये जाने पर अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में पुनः संहिता की धारा 250 के तहत बेदखली का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जहॉ तहसीलदार रामपुर नैकिन द्वारा बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये प्रकरण क्रमांक 26/अ-7/2000-01 पर पंजीबद्ध कर आवेदक को आहूत किया गया। आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश की गई । जिस पर तहसीलदार ने आवेदक के द्वारा आपत्ति को निरस्त कर दिनांक 8.02.2002 से अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहॉ अपर कलेक्टर सीधी ने तहसील न्यायालय के

आदेश को स्थिर रखते हुये दिनांक 21.04.2006 से आवेदक की निगरानी निरस्त की । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। जिस पर अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 452/निग0/2005-06 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 15.06.2006 से निगरानी सारहीन मानकर निरस्त किया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जाता है।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में सीमांकन के पश्चात संहिता की धारा 250 की कार्यवाही तहसील न्यायालय में प्रचलित है । जिसे न्यायालय अपर कलेक्टर में चुनौती दी गई है। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि विवादित भूमियों में अवैध कब्जा है अथवा नहीं, इस तथ्य को साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है। चूँकि तहसील न्यायालय में प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है ऐसे में साक्ष्य के पूर्व किसी प्रकरण पर कोई निर्णय लेना उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है। अपर आयुक्त रीवा ने

अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर अपर कलेक्टर के आदेश को उचित मानते हुये स्थिर रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 15.06.2006 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,